कार्यालय सहायक संचालक उद्यान सिलारी (पिपरिया), जिला – होशंगाबाद (म0प्र0)

Phone No - 07576-220109 E-Mail - adh.ppr@gmail.com

क्र. / उद्यान / तक. / नीलामी / 2015–16 / 1341 सिलारी, दिनॉक 26-3-16

नीलामी सूचना

समस्त फल व्यापारियों को सूचित किया जाता है, कि शासकीय उद्यान सिलारी, रामपुर एवं खापरखेडा उद्यानो की कलमी आम / कटहल फलबहार 2016 हेतु सील बंद निविदायें दिनॉक 11.04.2016 को कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 बजे से सायः 05:30 बजे तक एंव दिनॉक 12.04.2016 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक कार्यालय सहायक संचालक उद्यान सिलारी, पिपरिया में आमंत्रित की जाती है, निविदायें उद्यानवार / खण्डवार अलग–अलग दर्शाई जाकर प्रेषित की जावे। सील बंद निविदायें दिनॉक 12.04.2016 को दोपहर 02:30 बजे उपस्थित व्यापारियों के समक्ष खोली जावेगी इच्छुक व्यापारी निर्धारित तिथि एंव समय पर निविदा प्रेषित कर सकते है। सीलबंद निविदाओं में पर्याप्त राशि नही आने पर उसी दिन खुली बोली से नीलामी की जावेगी। निविदायें विलम्ब से प्राप्त होने अथवा गुम हो जाने की जवाबदारी इस कार्यालय की नही रहेगी। निविदा डालने के पूर्व धरोहर राशि कार्यालय में जमा करना होगा। **फलबहार का उद्यानवार विवरण निम्नानुसार है।**

क्र.	उद्यान का नाम	धरोहर राशि	फलबहार	कुल फलित पेडों की संख्या	किस्म
1	2	3	4	5	6
1	सिलारी उद्यान खण्ड–1 अ + द	10,000 / –	कलमी आम	129	दशहरी,लंगडा,चौसा,बाम्बेग्रीन मल्लिका एवं अन्य किस्में
	खण्ड–2 ब + स	15,000 / –	कलमी आम	148	दशहरी,लंगडा, चौसा,फजली मिश्री,मल्लिका एवं अन्य किस्मे
2	रामपुर उद्यान	5,000 / –	कलमी आम	37	लंगडा,दशहरी चौसा,मल्लिका एवं अन्य किस्में
3	खापरखेड़ा उद्यान	1000 / –	कलमी आम	20	लंगडा,दशहरी,चौसा एवं अन्य किस्में
4	सिलारी उद्यान	500 / –	कटहल	10	रूद्राक्ष

नीलामी की शर्ते एवं अन्य जानकारी के लिये सहायक संचालक उद्यान सिलारी के कार्यालयीन समय में दूरभाष नम्बर 07576–220109 पर सम्पर्क करें।

30 MAR 2016
20975
9407387164
सहायक संचालक उद्यान 9770696204

सहायक संचालक उद्यान
सिलारी(पिपरिया)

C:\Hariom_Sankwar\ADH_Silari_Pip\SILARI DETA\

पृ0 / क्र. / उद्यान / तक. / नीलामी / 2015–16 / 1342 सिलारी / दिनॉक 26·3·16

प्रतिलिपी –

(1) आयुक्त सह संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी म.प्र. भोपाल की ओर भेजकर निवेदन है कि नीलामी दिनॉक को उपस्थिति होने / प्रतिनिधि भेजने की कृपा करें।

(2) संयुक्त संचालक उद्यान नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद की ओर भेजकर निवेदन है कि निर्धारित तिथि को उपस्थित होने की कृपा करें।

(3) संयुक्त संचालक उद्यान पचमढ़ी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(4) सहायक संचालक उद्यान पचमढ़ी की ओर भेजकर निवेदन है कि उक्त दिनॉक को उपस्थित होने का कष्ट करें।

(5) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पिपरिया नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(6) तहसीलदार / नगरपालिका पिपरिया नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(7) सरपंच ग्राम पंचायत..नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(8) कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(9) फल व्यापारी .... समस्त की ओर सूचनार्थ।

संलग्न – नीलामी की शर्ते

सहायक संचालक उद्यान
सिलारी(पिपरिया)
जिला–होशंगाबाद(म0प्र0)

C:\Hariom_Sankwar\ADH_Silari_Pip\SILARI DETA\f

फलबहार नीलामी की आवश्यक शर्ते

1. प्रत्येक व्यापारी से अनुरोध है की नीलामी के पूर्व फलबहार का अवलोकन कर लेवें।
2. नीलामी के पूर्व/निविदाकर्त्ता को धरोहर राशि नगद सहायक संचालक उद्यान सिलारी कार्यालय में जमा करना होगी। उसके बाद ही बोली/निविदा मान्य की जावेगी। निविदा फार्म सहायक संचालक उद्यान सिलारी कार्यालय से **10 रूपये** नगद जमा कर प्राप्त करें।
3. उच्च निविदाकर्त्ता को एक जमानतदार प्रस्तुत करना होगा।
4. उच्च एवं द्वितीय बोली/निविदाकर्त्ता को छोडकर शेष असफल बोली/निविदाकर्त्ताओं की धरोहर राशि नीलामी के उपरांत वापिस कर दी जावेगी।
5. उच्च बोली/निविदाओं द्वारा राशि जमा न करने पर जमानत लेने वाले को नीलामी राशि जमा करनी होगी।
6. उच्च बोली/निविदाकर्त्ता को धरोहर राशि अंतिम किस्त में समायोजित की जावेगी।
7. नीलामी समाप्त होने के बाद उच्च बोली/निविदाकर्त्ता को नीलामी की राशि की एक तिहाई राशि 24 घण्टे के अंदर जमा करनी होगी तभी बोली/निविदा मान्य की जावेगी। अन्यथा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन एवं समय मान्य नही होगा। बोली/निविदा की शेष राशि फल तोडने से पूर्व दो किस्तों में जमा करना होगी तभी फल तोडने की अनुमति दी जावेगी।
8. उच्च बोली/निविदाकर्त्ता एक तिहाई राशि 24 घण्टें में जमा नही करते हैं तो द्वितीय बोली/निविदाकर्त्ता की नीलामी मान्य करने की कार्यवाही की जावेगी। तथा द्वितीय बोली/निविदाकर्त्ता की धरोहर राशि वापिस व जमा पर विचार किया जावेगा।
9. फलबहार नीलामी के पश्चात प्राकृतिक आपदा से हानि को मान्य नही किया जावेगा। नीलामी के बाद फलों की सुरक्षा क्रेता को स्वयं करना होगी। शासन/विभाग की इसमें कोई जावाबदारी नही होगी।
10. पूर्व में क्रेता के ऊपर यदि नीलामी की राशि जमा करने हेतु शेष है तो ऐसे व्यक्ति एवं उनके परिवार के अन्य सदस्य नीलामी में भाग नही ले सकेगे ऐसा पायें जाने की स्थिति में उन पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
11. उद्यान में फल तोडते समय प्रत्येक पौधे से प्राप्त फलों का वजन सहायक संचालक उद्यान सिलारी के कार्यालय में इन्द्राज कराना होगा।
12. उद्यान के पौधो एवं अन्य फसलों को किसी भी प्रकार का नुकसान नही होना चाहिये अन्यथा नुकसान की भरपाई क्रेता को राजस्व वसूली के रूप में जमा करना होगी।
13. विभागीय प्रदर्शनी आदि के लिये किस्मवार, आवश्यकतानुसार एक से अधिक बार प्रादर्श के रूप में अच्छे फल शासन को निशुल्क देने होगे।
14. उद्यान पर अनावश्यक व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होगा जिन पर सहायक संचालक उद्यान सिलारी को आपत्ति हो।
15. फलो की स्थानीय मांग की पूर्ति करने हेतु क्रेता को स्थानीय विक्रय क्रेन्द्र स्थापित करना आवश्यक होगा।
16. उच्च बोली/निविदाकर्त्ता को फल तोडकर बगीचा खाली करने की अंतिम तिथि आम कलमी हेतु **30.06.2016** रहेगी। उसके बाद फल नही तोड़ने दिये जावेगें।
17. नीलामी/निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सहायक संचालक उद्यान सिलारी (पिपरिया) अथवा गठित समिति के अधीन सुरक्षित होगा।
18. निविदा की राशि को बगैर कारण बताये निविदा निरस्त करना तथा विवाद की स्थिति के अंतिम निर्णय करने का अधिकार संचालक उद्याानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी म0प्र0 भोपाल के अधीन होगा।
19. समस्त निविदाकर्त्ताओ को निविदा के साथ स्थाई निवास एंव पहचान पत्र के प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
20. सीलबंद निविदाओ में पर्याप्त राशि नही आने पर उसी दिन खुली बोली से नीलामी की जावेगी।

सहायक संचालक उद्यान
सिलारी(पिपरिया)

C:\Hariom_Sankwar\ADH_Silari_Pip\SILARI DETA\f